फर्द अहकाम

सायर बनाम हनुमान

न्यायालय :- सि०जू०डि०

संख्याः- 65 /2017

T.I.

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
07/12/20	पत्रावली पे[illegible] उपस्थित पी ओ [illegible] है। गत आदेश [illegible] 14/12/20 को पेश है।	
14/12/20	पत्रावली पेश [illegible] उपस्थित पी ओ [illegible] है। गत आदेश [illegible] 23/12/20 को पेश है।	
23/12/20	वकील पक्षकारान उप० पत्रावली में बहस सुनी 15 दिन से अधिक का समय हो गया है। वकील पक्षकारान ने पुनः बहस करना जाहिर किया। वकील पक्षकारान की प्रा० पत्र T.I. पर बहस को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पत्रावली व मनन बहस पत्रावली वास्ते आदेश दि० 05/01/21 को पेश हो। [illegible] (फास्ट ट्रैक) [illegible]	
05/01/21	वकील पक्षकारान उप० पत्रावली आज आदेश हेतु नियत थी। आदेश सुनाया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विवादित आ० खा० सं० 83 के आ० ख० नं० 351, 352 कुल किता 02 कुल रकबा 0.1900 हेक्टेयर वाके ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ बासड़ा तह० मौजमाबाद के बाबत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [illegible] (फास्ट ट्रैक) [illegible]	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 65/2017

प्रार्थना पत्र दर्ज दिनांक : 01/09/2017

निर्णय दिनांक : 05/01/2021

सायर पुत्र रामप्रताप, जाति जाट, निवासी श्योसिंहपुरा उर्फ बासड़ा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

-- प्रार्थी

बनाम

1. हनुमान दत्तक पुत्र छीतर
2. रामकैलाश पुत्र श्योजी
3. श्योजी पुत्र रामदेव
4. सुरजकरण पुत्र रामदेव
5. जगदीश पुत्र भागीरथ
6. पांचूराम पुत्र भागीरथ
7. मदन पुत्र रामप्रताप

समस्त जातियान जाट, निवासीगण श्योसिंहपुरा उर्फ बासड़ा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

8. तहसीलदारजी, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

-- अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – **श्री निरंजन कुमार पारीक**
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी

श्री कन्हैयालाल माली
विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ल. 7

अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 05/01/2021

– निर्णय –

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)

सम्वत 2071 से 2074 के खाता संख्या 83 के आराजी खसरा नम्बर 351 रकबा 0.1000 हैक्टेयर चाही–2, खसरा नम्बर 352 रकबा 0.0900 हैक्टेयर चाही–2 कुल किता 02 कुल रकबा 0.1900 हैक्टेयर वाके ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ बासड़ा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में स्थित है, जो वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जबकि इसमें 1/2 हिस्सा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 7 का 1/ हिस्सा बनता है, जिसके अनुसार प्रार्थी 1/6 हिस्से का एवं अप्रार्थी संख्या 5 ल. 6 संयुक्त रूप से 1/6 हिस्से के एवं अप्रार्थी संख्या 7 1/6 हिस्से का संयुक्त रूप से काबिज काश्त एवं रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। उक्त आराजीयात हाल खसरा नम्बर 351 व 352 जिसके साबिक खसरा नम्बर 242 रकबा 15 बिस्वा है, का सम्वत 2011 में पर्चा रामदेव व रामप्रताप पि. कालू कौम जाट सा0 देह के नाम से जारी हुआ था, जो प्रस्तुत पर्चा सैटलमेन्ट सम्वत 2011 के खाता संख्या 16 से बखूबी साबित हैं। जब तक रामप्रताप पि. कालू जीवित रहा अपने 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त रहा उसके मरने के पश्चात उक्त आराजीयात उसके तीनों पुत्र भागीरथ, सायर, मदन पि0 रामप्रताप जाति जाट सा0 देह के नाम से हिस्सा 1/2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ, जो जमाबन्दी सम्वत 2036 से 2039 से बखूबी साबित हैं। इसके पश्चात जमाबन्दी सम्वत 2045 तक उक्त इन्द्राज सही चला आ रहा था इसी अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 5 ल. 7 अपने 1/2 हिस्से पर एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 अपने 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त थे, लेकिन सम्वत 2045 से 2048 की नवीन जमाबन्दी बनायी गयी, उसमें सम्पूर्ण आराजीयात ही अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पिता रामदेवा पुत्र कालू के नाम से दर्ज कर दी गयी एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 5 ल. 7 का 1/2 हिस्सा हजफ कर दिया गया, जो कि गलत हुआ, जबकि पूर्व के सम्पूर्ण रिकार्ड में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 5 ल. 7 का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज था, जो सही था। रामदेवा पुत्र कालू के स्वर्गवास के पश्चात उक्त सम्पूर्ण आराजीयात उसके वारिश अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी गयी, जो जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 से भलींभांति साबित हैं। इस प्रकार उक्त त्रुटि जो हुई है, वह मात्र राजस्व कारकुनानों की गलती से हुई है, जो काबिले दुरूस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 5 ल. 7 मौके पर अपने 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त है, आज तक प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 5 ल. 7 के कब्जे काश्त में किसी भी व्यक्ति ने कोई दखलबाजी नही की एवं शान्तिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे थे। प्रार्थी ने अभी हाल ही में प्रार्थी ने किसान केडिट कार्ड

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर

बनवाने हेतु जमाबन्दी की नकल दिनांक 20/07/2017 को प्राप्त की तो उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई, इस पर प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को इस बाबत ओलमा दिया एवं कहा कि उनका 1/2 हिस्स वापिस प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 7 के नाम से कराओ, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 ने प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दी कि सम्पूर्ण आराजीयात उनके नाम से दर्ज हो चुकी है, जिससे अब वे विवादित आराजीयात सम्पूर्ण का बैचान कर प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करेंगे, जिस पर प्रार्थी ने तहसीलदार एवं पटवार हल्का को दुरूस्ती इन्द्राज हेतु निवेदन किया तो तहसीलदार एवं पटवार हल्का ने दुरूस्ती इन्द्राज करने से इन्कार कर दिया, जिससे प्रार्थी को उक्त प्रार्थना–पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही है कि "अतः प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि प्रार्थना–पत्र के वर्णित मद नम्बर 2 की आराजीयात में प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलबाजी न स्वंय करें, न अन्य किसी नौकर, चाकर एजेण्ट आदि से करावें तथा न विवादित आराजीयात का रहन, बेय, मुन्तकिल, दान–बख्शीश विक्रय आदि करें। राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। इस हेतु तहसीलदार/सबरजिस्ट्रार मौजमाबाद को लिखा जावें।"

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गयी। दिनांक 18/10/2017 को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से एडवोकेट श्री कै.एल. माली द्वारा अण्डरटेकिंग दी गयी। अप्रार्थी संख्या 5 ल. 7 की ओर से एडवोकेट श्री ओमप्रकाश तंवर द्वारा अण्डरटेकिंग दी गयी। दिनांक 20/11/2017 को अप्रार्थी संख्या 5 ल. 7 की ओर से एडवोकेट श्री ओमप्रकाश तंवर द्वारा वकालतनामा पेश किया। दिनांक 06/06/2018 को अप्रार्थी संख्या 1 ल. 3 व 5 ल. 7 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ल. 3 व 5 ल. 7 की बहस प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर सुनी गयी।

सहायक कलक्टर

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ल. 3 व 5 ल. 7 की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा व उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात फोटो प्रति मिलान क्षैत्रफल, जमाबन्दी सम्वत 2071–2074, 2036 से 2039, जमाबन्दी सम्वत 2045 से 2048 तथा अप्रार्थी संख्या 1 ल. 3 व 5 ल. 7 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र व उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा हनुमान बनाम रामस्वरूप वगैरह मय आदेशिका, अवमानना प्रार्थना–पत्र हनुमान बनाम रामस्वरूप मय आदेशिका का गहनता से अवलोकन किया गया।

उपरोक्त अवलोकन से प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का विवेचन निम्न प्रकार से है :–

<u>प्रथम दृष्ट्या मामला</u>– प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 पेश की गयी है, उसके अनुसार खाता संख्या 83 के अप्रार्थी संख्या 1 ल. 4 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है प्रार्थी ने अपने वाद व प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में विवादित आराजीयात को गलत रूप से अप्रार्थी संख्या 1 ल. 4 के नाम दर्ज होना बताते हुये अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने हेतु उक्त प्रार्थना–पत्र पेश किया गया हैं वही अप्रार्थी संख्या 1 ल. 3 व 5 ल. 7 ने अपने जवाब में प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को खारिज किये जाने का निवेदन किया है, चूंकि अवलोकन से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 1 ल. 3 व 5 ल. 7 विवादित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, इसलिये प्रथमतः तो एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थायी निषेधाज्ञा से कानूनन पाबन्द नही किया जा सकता वही दुसरी ओर विवादित आराजीयात में प्रार्थी का यदि किसी प्रकार से हक व हिस्सा निहित है तो उसका मूल वाद के निस्तारण के समय ही हो पायेगा, लेकिन वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 ल. 4 जो कि विवादित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, इसलिये कानूनन रिकार्डेड खातेदार /अप्रार्थी संख्या 1 ल. 4 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है इस प्रकार प्रकरण के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी संख्या 1 ल. 4 के पक्ष में प्रबल पाया जाता हैं।

<u>सुविधा का सन्तुलन</u> – यह कि चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 ल. 4 विवादित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है इसलिये रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थायी

सहायक कलक्टर

निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता हैं तथा प्रार्थी का प्रश्नगत भूमि में किसी प्रकार से हक निहित है, तो उसका निर्धारण मूल वाद के विनिश्चय पर हो सकेगा, इसलिये वर्तमान स्थिति में यदि अप्रार्थी संख्या 1 ल. 4 जो कि विवादित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार है, को पाबन्द किया जाता है, तो अप्रार्थी संख्या 1 ल. 4 को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी एवं प्रकरण में भी बेवजह पेचीदगीयां बढेगी जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होगा तथा पक्षकारान के हक–हकूक मूल वाद एवं सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद के निस्तारण पर स्वतः ही निर्धारण हो सकेगे ऐसी स्थिति में सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के बजाय अप्रार्थी संख्या 1 ल. 4 के पक्ष में बनना पाया जाता हैं।

अपूर्तनीय **क्षति** – चूंकि प्रथम दृष्ट्या केस एवं सुविधा का सन्तुलन उक्त दोनों बिन्दू अप्रार्थी संख्या 1 ल. 4 के पक्ष में बनना पाये जाते है, फिर भी यदि अप्रार्थी संख्या 1 ल 4 को यदि पाबन्द किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1 ल. 4 को अपूर्तनीय क्षति होगी।

इस प्रकार प्रथम प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति तीनों बिन्दू अप्रार्थी संख्या 1 ल. 4 के पक्ष में प्रबल है, जिसको अप्रार्थी संख्या 1 ल. 4 ने दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया हैं। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाना उचित समझता हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विवादित आराजी खाता संख्या 83 के आराजी खसरा नम्बर 351, 352 कुल किता 02 कुल रकबा 0.1900 हैक्टेयर वाके ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ बासड़ा, तहसील मौजमाबाद के बाबत खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 05/01/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
दूदू (जयपुर)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू